UPJB010034742026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस.सी./एस.टी.) एक्ट, अमरोहा।
प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–884/2026

1. कोमल उर्फ कोयल पुत्र छोटे
2. योगेश पुत्र कोमल उर्फ कोयल सिंह
   निवासीगण ग्राम गारापुर उर्फ रूस्तमपुर थाना आदमपुर, जिला अमरोहा।
3. लोकेश पुत्र हेमसिंह
   निवासी ग्राम खरसौली, थाना सैदनगली, जनपद अमरोहा ।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 सरकार **.....अभियोगी।**

आदेश

दिनांकः–10.06.2026

01– आवेदकगण/अभियुक्तगण **कोमल उर्फ कोयल, योगेश एवं लोकेश** की तरफ से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र **एस.टी.नम्बर–712/2026, अपराध संख्या– 10/2026, धारा–115(2), 352, 351(2), 118(1) बी.एन.एस. व 3(2)(Va) एस.सी./एस.टी.एक्ट, थाना आदमपुर, जनपद अमरोहा** के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में बाला देवी द्वारा शपथपत्र दाखिल किया गया है तथा कथन किया गया है कि जमानत में दिये गये तथ्य सही एवं सत्य है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि घटना दिनांक 11–11–2025 सुबह 8:30 बजे की है प्रार्थी के गाँव के कोमल, योगेश, लोकेश निवासीगण ग्राम खरसौली थाना सैदनगली, जिला अमरोहा प्रार्थी की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे थे तभी प्रार्थी के पिता मुनेश अपनी जमीन देखने गये तो वहाँ जाकर देखा कि कोमल, योगेश, लोकेश प्रार्थी की जमीन पर दुकानों का निर्माण कर रहे है। प्रार्थी के पिता ने निर्माण कार्य रोकने को कहा तो उक्त तीनों लोग आग बबूलाहो गये और प्रार्थी के पिता को लाठी–डण्डो व तबल से मार–पीट शुरू कर दी और कहा साले चमार चमटटे तू हमें जमीन पर दुकान बनाने से रोकेगा आज चुझे जान से मार देगें। प्रार्थी के पिता को खूब मारा–पीटा जिससे प्रार्थी के पिता का सिर फट गया हाथ व पैर फेक्चर हो गये। प्रार्थी के पिता की शोर की आवाज सुनकर मौके पर वीरपाल, तारा चन्द, धर्मेन्द, निक्की, सोनू आदि बहुत से लोग आ गये जिन्होंने उक्त मुल्जिमान से बचाया। उक्त मुल्जिमान कहीं पर भी शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गये। प्रार्थी अपने पिता को लेकर थाने गया थाने वालों ने तहरीर लेकर रख ली और प्रार्थी के पिता को डाक्टरी मुआयने के लिए एक सिपाही के साथ सरकारी अस्पताल रहरा में भेज दिया जहाँ प्रार्थी के पिता का डाक्टरी मुआयना हुआ और लोकेश का शान्ति भंग में चालान कर दिया और प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। प्रार्थी ने इसके पश्चात समस्त घटना का एक प्रार्थना–पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला अमरोहा को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित किया परन्तु इसके उपरान्त भी अभियुक्तगण के विरूद्ध आज तक कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं इसलिए प्रार्थी माननीय न्यायालय की शरण में आया है। वादी के उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संबंधित थाने पर अन्तर्गत धारा 115(2), 351(2) बी.एन.एस. एवं 3(2)(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना उपरांत अन्तर्गत धारा 115(2), 351(2), 352,118(1) बी.एन.एस. एवं 3(2)(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

Digitally signed by SHAILJA RATHI
Date: 2026.06.10 16:51:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4. जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण को उपरोक्त अभियोग में रंजिशन झूठा फंसाया गया है, प्रार्थीगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है, प्रार्थीगण बिल्कुल निर्दोष हैं। प्रार्थीगण ने वादी मुकदमा के साथ कोई मारपीट नहीं की है, ना ही गाली गलौच की है, ना ही जान से मारने की धमकी दी है और ना ही जाति सूचक शब्द कहे हैं। प्रार्थीगण को रंजिश की बिना पर झूठा फंसाया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में देरी है देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दर्शाया गया है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है जो साक्षी दर्शाये गये हैं वह सभी हितबद्ध साक्षी हैं। प्रार्थीगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण जमानतदार प्रस्तुत करने को तैयार हैं। प्रार्थीगण जमानत का कोई दुरुपयोग नहीं करेंगे और माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करेंगे। जमानत की याचना करते है।

05. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया है तथा कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के पिता के साथ खरतनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करते हुए मारपीट करने, गाली–गलौच करने, जान से मारने की धमकी देने और अनूसूचित जाति का सदस्य जानते हुए अनुसूची में वर्णित अपराध किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया हैं। अतः जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाये।

06. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक विशेष लोक अभियोजक की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

07. अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण पर वादी मुकदमा के पिता के साथ खरतनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करते हुए मारपीट करने, गाली–गलौच करने, जान से मारने की धमकी देने और अनूसूचित जाति का सदस्य जानते हुए अनुसूची में वर्णित अपराध कारित करने का अभियोग है। प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी धाराए सात वर्ष तक की सजा की अवधि से दण्डनीय है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्तगण को बी.एन.एस.एस. की धारा 35(3) का नोटिस तामील कराकर गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामलें में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। मामलें में अभियुक्तगण अन्तरिम जमानत पर हैं। जमानत की शर्तों का कोई उल्लघन नहीं किया गया है। विचारण में समय लगना सम्भावित है। उपरोक्त समस्त परिस्थितयों एवं तथ्यों पर विचार करने के उपरांत आवेदकगण/अभियुक्तगण को सशर्त जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण **कोमल उर्फ कोयल, योगेश एवं लोकेश** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु0 50,000/–(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की एक जमानत संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डर टेकिंग दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है–

01– आवेदकगण/अभियुक्तगण अभियोजन साक्षियों/शिकायतकर्ता को डरायेगें, धमकायेगें नहीं, न्यायालय के आदेशों का पालन करेगें, विचारण के दौरान बिना कोई अनावश्यक स्थगन लिए नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगें तथा विचारण में सहयोग करेगें।

02– जमानत पर रिहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नहीं करेगें और किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगें न ही कोई आपराधिक कृत्य करेगें।

दिनांक–10.06.2026

(शैलजा राठी)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस 0 सी0/एस 0 टी0 एक्ट)
अमरोहा।